

APPLICANT'S DECLARATION

For FORM 2, a new form shall be substituted, Namely,

FORM-2

(See rule 3(3) and Rule 11A(2))

(To be submitted in duplicate)

I/We _____ the applicant(s) (individual/firm/company/association of persons/body of individuals) for registration as a cable operator/Multi-System operator/renewal of registration as a cable operator/Multi-System operator do hereby declare that:-

- (i) We shall ensure that my / our cable television network shall be run in accordance with the provisions of the Cable Television Networks (Regulation) Act, 1995, and the rules made thereunder, regulations, orders, guidelines or the directions issued by the Central Government or the Authority from time to time.
 - (ii) I/We shall not permit/associate any person who is not eligible to run a cable television network under the Cable Television Networks, (Regulation) Act, 1995 to run/with the running of my/our cable television network,
 - (iii) I/We shall strive to the best of my / our ability to provide cable service to the satisfaction of the subscriber(s) of my/our cable television network.
 - (iv) I/We shall strive to the best of my / our ability to ensure that my / our cable television network is not used for any unlawful purpose.
 - (v) I/We shall obtain the necessary approval/clearance from the relevant authority for the running of my / our cable television network.
 - (vi) I/we shall abide by any directions issued by the Central Government in respect of the running of a cable television network within India.
 - (vii) I/We shall transmit or re-transmit channels in the area notified under section 4 A of the Act in an encrypted form through a digital addressable system and in the event of failure to do so, our existing registration is liable to be cancelled.
- I/we shall not carry programming service provided on the channels generated in my/our level, which is in violation of the Programme & Advertising Codes prescribed in Rules 6 and 7.
 - I/We have not been convicted for a criminal offence.
 - I/we are not of unsound mind as declared by a competent court;
 - I/we are not an undischarged insolvent.
 - I/We have submitted all the documents as prescribed in Form 1 (in case of cable operators) and Form 6 (in case of Multi-System Operator).

Signature of Applicant

*(Individual/firm/company/association of persons/body of individuals)

Place: _____

Name _____

Date: _____

Address _____

Score out the word or words which are not applicable.

APPLICANT'S DECLARATION

प्ररूप 2 के स्थान पर नया प्ररूप रखा जाएगा अर्थात्-

प्ररूप -2

(नियम 3 (3) और नियम 11 क (2) देखिए)

मैं/हम _____ आवेदक (व्यष्टि/फर्म/कंपनी/व्यक्तियों का संगम/व्यष्टियों का निकाय) केवल आपरेटर/मल्टी सिस्टम आपरेटर के रूप में रजिस्ट्रीकरण के लिए/केवल आपरेटर/मल्टी सिस्टम आपरेटर के रूप में रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण के लिए यह घोषणा करता हूँ/करते हैं कि -

- (i) मैं/हम यह सुनिश्चित करूंगा/करेंगे कि मेरा/हमारा केवल टेलीविजन नेटवर्क/केवल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 के उपबंधों और उसके अधीन बनाए गए नियमों केंद्रीय सरकार या प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर जारी विनियमों आदेशों, मार्गदर्शक 'सिद्धांतों या निदेशों के अनुसार चलाया जाएगा।
- (ii) मैं/हम किसी ऐसे व्यक्ति को, जो केवल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम 1995 के अधीन केवल टेलीविजन नेटवर्क चलाने का पात्र नहीं है, अपने/हमारे केवल टेलीविजन नेटवर्क को चलाने की अनुज्ञा नहीं दूंगा/देंगे/उसको चलाने के लिए सहयोजित नहीं करूंगा/करेंगे।
- (iii) मैं/हम, अपने केवल टेलीविजन नेटवर्क के अभिदाता (ओं) के समाधानप्रद रूप में अपनी पूरी योग्यता के अनुसार केवल सेवा उपलब्ध कराने का प्रयास करूंगा/करेंगे।
- (iv) मैं/हम अपनी पूरी योग्यता से यह सुनिश्चित करूंगा/करेंगे कि मेरे/हमारे केवल टेलीविजन नेटवर्क का किसी विधि विरुद्ध प्रयोजन के लिए उपयोग नहीं किया जाता है।
- (v) मैं/हम अपना केवल टेलीविजन नेटवर्क चलाने के लिए सुसंगत प्राधिकारी से आवश्यक अनुमोदन/अनापति प्राप्त करूंगा/करेंगे।
- (vi) मैं/हम भारत के भीतर केवल टेलीविजन नेटवर्क चलाने की बाबत केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किसी निदेश का पालन करूंगा/करेंगे।
- (vii) मैं/हम अंकीय संबोध्य सिस्टम के माध्यम से इनक्रिप्टेड रूप में अधिनियम की धारा 4क के अधीन अधिसूचित क्षेत्र में चैनलों का प्रसारण या पुनः प्रसारण करूंगा/करेंगे।
- (viii) मैं/हम, मेरे/हमारे स्तर पर तैयार किए गए चैनल पर उपलब्ध कराई गई ऐसी कार्यक्रम सेवा का प्रवहन नहीं करूंगा/करेंगे, जो नियम 6 और नियम 7 में विहित कार्यक्रम और विज्ञापन संहिताओं के उल्लंघन में हैं।
- (ix) मुझे/हमें किसी दांडिक अपराध के लिए दोषसिद्ध नहीं किया गया है।
- (x) मैं/हम किसी सक्षम न्यायालय द्वारा यथा घोषित विकृतचित्त का नहीं हूँ/हैं।
- (xi) मैं/हम अनुन्योचित दिवालिया नहीं हूँ/हैं।
- (xii) मैंने/हम (केवल ऑपरेटर की दशा में) ने उपरोक्त प्ररूप 1 में और (मल्टी सिस्टम आपरेटर की दशा में) यथाविहित सभी दस्तावेज प्रस्तुत कर दिए हैं।

आवेदक के हस्ताक्षर
(व्यष्टि/फर्म/कंपनी/व्यक्तियों का संगम/व्यष्टियों का निकाय)

स्थान : _____

नाम : _____

तारीख : _____

पता: _____

जो शब्द लागू न हो उन्हें काट दें।